<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>06.02.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए मोहाली के समक्ष अभियोजन शिकायत दिनांक 06.02.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभिषेक कुमार, सोल हेल्थकेयर (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एस्टर फार्मा और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह अभियोजन शिकायत अंतरराज्यीय नशीली दवाओं के अवैध व्यापार नेटवर्क से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभिषेक कुमार, सोल हेल्थकेयर (आई) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एस्टर फार्मा और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अवैध रूप से साइकोट्रोपिक/मादक पदार्थों (जैसे ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम आदि) की आपूर्ति में शामिल है।

मादक पदार्थ विक्रेताओं से नशीली दवाओं के पैसे के साथ ट्रामाडोल आधारित गोलियों की बरामदगी पर पंजाब पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफ.आई.आर. के आधार पर ई.डी. ने जांच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला कि मेसर्स श्री श्याम मेडिकल एजेंसी, मेसर्स एमपी ट्रेडर्स और मेसर्स कैनिक्स फार्मा नामक बिचौलिए, फार्मास्युटिकल फर्मों/विनिर्माण कंपनियों से भारी मात्रा में साइकोट्रोपिक टैबलेट खरीद रहे थे और ड्रग वितरकों के माध्यम से उचित बिल, पर्चे और स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव किए बिना, बिना बिल बनाए नकद में बेचने के लिए भेज रहे थे। यह पाया गया कि मेसर्स सोल हेल्थकेयर (आई) प्राइवेट लिमिटेड, ट्रामाडोल आधारित टैबलेट का निर्माता, और एक वितरक, मेसर्स एस्टर फार्मा, साइकोट्रोपिक टैबलेट की अवैध बिक्री में शामिल थे और अपराध से प्राप्त आगम नकद में प्राप्त करते थे। वितरक निर्माण संयंत्रों से उपरोक्त उल्लिखित बिचौलियों को कूरियर सेवा के माध्यम से सीधे टैबलेट का परिवहन कर रहे थे, जो फिर आगे ड्रग वितरकों को बेचते थे। चालान मूल्य के बराबर नकद राशि बैंक खातों में जमा की जाती थी और उसके बाद स्थानांतरित कर दी जाती थी, जबकि अतिरिक्त राशि व्यक्तिगत रूप से नकद में सौंपी जाती थी।

पूर्व में, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के प्रावधानों के तहत 17.06.2025 को तलाशी ली गई थी और 4 लाख रुपये की नकदी और वित्तीय मार्ग स्थापित करने और इसमें शामिल संस्थाओं के कार्यप्रणाली का पता लगाने वाले अपराध-संकेती रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए थे। इसके अलावा, ईडी ने मेसर्स श्री श्याम मेडिकल एजेंसी के अभिषेक कुमार को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 09.12.2025 को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। साथ ही, मेसर्स एस्टर फार्मा के अखिल जय सिंह, सोल हेल्थकेयर, मेसर्स कैनिक्स फार्मा के एलेक्स पालीवाल, मेसर्स एमपी ट्रेडर्स के अंकित कुमार और संतोष तिवारी की चल और अचल संपत्तियों के रूप में 2.19 करोड़ रुपये की संपत्ति को 02.02.2026 की तारीख के प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 1/2026 के माध्यम से अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था।

ई.डी. की जाँच में निर्माताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के एक नेटवर्क का पता चला जो मनोदैहिक गोलियों के अवैध व्यापार में लगे हुए हैं जो व्यापक दुरुपयोग और लत के माध्यम से समाज को खतरे में डालते हैं।

आगे की जाँच जारी है।